lfpdkLr lfpdkvks dh lwph&2013

vDVwcj&2013

f'k{kk foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	लोक(शिक्षा)10/2008	स्वर्गीय कमला कान्त महतो भूतपूर्व शिक्षक, मध्य विद्यालय कड़ैया, जामताड़ा का मृत्यु सह सेवानिवृति लाभ का भुगतान उनकी विधवा बतासी बाला दासी को भुगतान किये जाने के सबंध में परिवाद ।	26.10.2013	परिवादीनी माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 24. 11.1994 को केस सं. C.W.J.C. No. 7638 of 1993 में पारित आदेश के आलोक में परिवाद दर्ज की है। अतः परिवादीनी को परिवाद के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय का रूख करना चाहिए । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

jktLo foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	02/लोक(राजस्व)02/09	श्रीमती शान्ति देवी विधवा स्व0 मुरली प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी चाकुलिया(घटशिला) का बकाया वेतनादि का भुगतान के संबंध में ।	29.10.2013	निदेशक भूमि संरक्षण विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी परिवाद का निराकरण कर दिया गया के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)18/2012	सेवानिविृति के बाद पेंशन/उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश वेतन की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में मो0 दाउद, सेवानिवृत बसहायक बन्इदोबस्त पदाधिकारी, गुमला, झारखण्ड का परिवाद ।	29.10.2013	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02／लोक(स्वा)03／08	असैनिक शल्य चिकित्सक सह चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा अनुबंध के आधार पर नौकरी करने के उपरान्त वेतन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्याम कुमारी देवी का परिवाद ।	07.10.2013	स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को सभी वैद्यानिक बकाया का भुगतान कर दिया गया उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02／लोक(वन)17／2012	हरिहर प्रसाद शर्मा सेवा निवृत सहायक वन संरक्षक का सेवानिवृत के उपरान्त देय पावनाओं का भुगतान एवं ए.सी.पी. स्वीकृति के संबंध में परिवाद ।	29.10.2013	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी प्रकार के सेवानिवृत उपरान्त देय पावनाओं के भुगतान हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अतः उक्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

m|ksx foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01／लोक(उद्योग)01／12	रियाडा के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्रीमती अराधना पटनायक के विरूद्ध श्री जी.एन. मिश्र, कोडरमा का शिकायत ।	22.10.2013	परिवादी श्री जी. एन. मिश्रा द्वारा परिवाद वापसी तथा इसे अन्य फोरम में ले जाने के अनुरोध के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया ।

[kk| vkiwfrZ foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02 / लोक(खा.आ.)01 / 2012	बड़कागाँव पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले में उपायुक्त द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विशाल कुमार मालाकार, माण्डु, रामगढ़ का परिवाद ।	29.10.2013	उपायुक्त रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार 23 लाल कार्ड को निरस्त करते हुए उनका खद्यान वितरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया । उक्त रिपोर्ट के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(खा.आ.)06 / 12	नगर पंचायत विश्रामपुर के वार्ड नं0 8 ग्रम डिहरिया के डिलर श्रीमती नीलम वर्मा के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा से प्राप्त शिकायत ।	29.10.2013	जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में माननीय लोकायुक्त वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

xzkeh.k fodkl foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.) 17 / 12	देवघर जिला अन्तर्गत मारगोमुण्डा प्रखण्ड के बगहाडाबर ग्राम के लिए इन्दिरा आवास योजना में बिचौलिया किशोरी पाण्डेय द्वारा राशि हड़पने की मो0 परवेज आलम एवं अन्य ग्रामीणों का शिकायत ।	21.10.2013	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मारगो मुण्डा प्रखण्ड द्वारा सुनवाई के दौरान विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे परिवादी द्वारा भी मान लिया गया । अतः इस प्रकार परिवादी के परिवाद के निरकरण के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.) 03 / 13	पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर प्रखण्ड में इन्दिरा अवास निमार्ण योजना में अनियमितता के संबंध में श्री रहमतुल्लाह अंसारी का शिकायत ।	22.10.2013	अज सुनवाई के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी छतरपुर के उपस्थिति में परिवादी के भाई यासिन अंसारी के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से माननीय लोकायुक्त के न्यायालय को बताया गया कि शिकायत उनके द्वारा दर्ज नहीं कराया गया है बल्कि किसी अन्य द्वारा उनके नाम

				का गलत प्रयोग किया गया है। उनका इस शिकायत से कुछ लेना देना नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा खारिज कर दिया गया ।

uxj fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(न.वि.वि.) 4/08	श्री नागेन्दर शर्मा तहसीलदार नगरपालिका हजारीबाग द्वारा 22,5000/– रू0 अग्रिम निकासी कर सड़क नाली नहीं बनवाने के संबंध में डॉ0 गालिब सिद्दिकी हजारीबाग का परिवाद ।	29.10.2013	कार्यपालक पदाधिकारी नगरपालिका हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सड़क का निर्माण नागेन्दर शर्मा तहसीलदार द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा बंद कर दिया गया ।

ifjogu foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(परिवहन)01/2012	MVI पलामू श्री बुद्धिनाथ चौधरी पर जबरन वसूली का श्री नन्दु प्रसाद यादव, गढ़वा का आरोप के संबंध में ।	29.10.2013	परिवहन आयुक्त झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

lgdkfjrk foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(सहकारिता)03/2012	श्री अरविन्द कुमार झा,सेवानिवृत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी , जमशेदपुर अंचल के	03.10.2013	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी , जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा

		झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व के बकाये के भुगतान के संबंध में ।		परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार पविादी के देय पावनाओं का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(विविध)01/2013	सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान बंद करने के संबंध में पुनम देवी, विश्रामपुर एवं अन्य पलामू का शिकायत ।	29.10.2013	उपायुक्त पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवाद का निरकरण तथाकथित शराब की दुकान को बंद कर के कर दिया गया के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r
vDVwcj& 2013

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं. 33/2013	कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. चतरा द्वारा मनमाने ढंग से कनीय संवेदक को कार्य आवंटित करने के संबंध में श्री शंकर दयाल सिंह चतरा का शिकायत ।	30.10.2013	शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 830/12	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरांटी योजना की संचिका गुम कर ब्लैकमेल करने व राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री महेन्द्र रवानी	30.10.2013	शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को

		धनबाद का शिकायत।		खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 810/12	मंत्रनरायण ठाकुर, तत्कालिन श्रमायुक्त, राँची अपने पद का दुरूपयोग कर कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार जीवन राँची का शिकायत ।	10.10.2013	शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 703/12	सुमित्रा माजि का चयन सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र रघुनाथ चक पर नहीं करने के संबंध में श्री चिन्तामणि मंडल का शिकायत ।	03.10.2013	शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 570/12	जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पलामू के लिपिक, राजीवरंजन पाण्डेय एवं महेन्द्र कुमार सिंह पद अनियमित कार्यशैली का आरोप के संबंध में श्री राजेन्द्र शुक्ला, राँची का शिकायत ।	01.10.2013	शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 463/13	श्री बिनोद कुमार, पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सहायक के विरूद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में मो0 शकील अहसन एवं अन्य का शिकायत ।	26.10.2013	वर्तमान शिकायत पत्र बिना शिकायतकर्त्ता के हसताक्षर एवं पता का है साथ न कोई साक्ष्य है तथा न शपथ पत्र संलग्न है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिदया गया ।
7.	शिकायकत सं. 424/13	रियाडा के कर्मियों को गलत तरीके से सचिवालय स्तर का लाभ देने के संबंध में श्री जी.एन. मिश्र कोडरमा का शिकायत ।	29.10.2013	शिकायत सेवा शर्त से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकयुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।